न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक राज0

पीठासीन अधिकारी :— श्री हुक्मीचन्द रोहलानिया, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :— 101 / 2018

वादीगण :—

1. हनुमान पुत्र कस्तूरा जाति मीना निवासी ग्राम झालरा, तहसील व जिला टोंक (राजस्थान)
2. चेतन पुत्र कस्तूरा जाति मीना निवासी ग्राम झालरा, तहसील व जिला टोंक (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. तहसीलदार टोंक

उपस्थित :—श्री सेतराम चौधरी, अधिवक्ता —वादीगण की ओर से।
पैरोकार सरकार, प्रतिवादी की ओर से।

प्रार्थनापत्र अ0 धारा 136 एल आर एक्ट 1956

निर्णय

दिनांक— 17/3/25

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि खसरा नंबर 122, 181, 195, 273 कुल किता—4 कुल रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम अरनियाघाटी व खसरा नंबर 122, 217, 224, 232, 233, 329, 349, 350, 605, 606, 607, 761, 770, 831, 891, कुल किता—15, कुल रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम झालरा व खसरा नंबर 844 वाके ग्राम झालरा तहसील टोंक मे स्थित है। उक्त आराजी मे वादीगण के पिता का नाम कस्तूरा पुत्र श्रीकिशना , कस्तूरा पुत्र किशना अंकित हो रखा है। जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम किशना ना होकर केसरा था तथा उनको किशना नाम से भी जाना जाता था। परन्तु आवेदकगण के पिता के पहचान के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदान पहचान पत्र, इत्यादि कस्तूरा पुत्र केसरा के नाम से ही है तथा दिनांक 10.11.2017 को आवेदकगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है उनके मृत्य प्रमाण पत्र भी कस्तूरा पुत्र केसरा मीना के नाम से ही बना हुआ है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे उनका नाम कस्तूरा पुत्र किशना व कस्तूरा पुत्र श्रीकिशना होने से उनकी विरासत का नामान्तरकरण नही खुला पाया। आवेदकगण के पिता ने अपने जीवनकाल मे उक्त आराजी मे से अन्य सहखातेदारो से जमीन ली थी जिसका नामान्तरकरण उसी खाते मे खुल चुका है वह जमीन उनके वास्तविक नाम से ली गई थी जिसमे कस्तूरा पुत्र केसरा दर्ज है। ग्राम झालरा मे कस्तूरा पुत्र किशना नाम से कोई व्यक्ति नही है। अतः उक्त भूमि मे कस्तूरा पुत्र श्रीकिशना के स्थान पर कस्तूरा पुत्र केसरा मीना दर्ज किया जावे।

इसके पश्चात आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे अधिवक्ता आवेदक ने जमाबंदी संवत 2068—2071, 2072—75 , आधार कार्ड, पहचान पत्र, कस्तूरा मीणा का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

ग्राम पंचायत काबरा द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया है कि कस्तूरा पिता केसरा व कस्तूरा पिता किशना दोनो नाम से ही व्यक्ति है। अतः दोनो नामो को एक ही पढा जावे।

प्रकरण मे पैरोकार सरकार की रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादी ने खाता सं0 18, 37, व 31 मे कस्तूरा पुत्र केसरा सही व कस्तूरा पुत्र श्रीकिशना व कस्तूरा पुत्र किशना गलत होने का दावा पेश किया है लेकिन उक्त तीनो खातो मे वादी ने कस्तूरा पुत्र श्रीकिशना व कस्तूरा पुत्र किशना के नाम से बैंक लोन ले रखा है। अतः वादी ने गलत तथ्य अंकित किये गये है। दावा खारिज योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज)

Scanned with OKEN Scanner

इसके पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता आवेदक की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

हमने प्रकरण एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं विद्वान अभिभाषक आवेदकगण की बहस पर मनन किया। आवेदकगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे अंकित किया गया है कि भूमि खाता सं0 18 व 37 ग्राम झालरा, 31 ग्राम अरनियाघाटी प्रार्थीगण के पिता का नाम त्रुटिवश कस्तूरा पुत्र केसरा के स्थान पर कस्तूरा पुत्र किशना व कस्तूरा पुत्र श्रीकिशना अंकित कर दिया गया है लेकिन जमाबंदी के अवलोकन मे पाया गया कि कस्तूरा पुत्र किशना व कस्तूरा पुत्र श्रीकिशना का हिस्सा भारतीय स्टेट बैंक शाखा टोंक के रहन दर्ज है यदि उक्त नाम त्रुटिपूर्ण है तो त्रुटिपूर्ण नाम से बैंक ऋण किस प्रकार और क्यो लिया गया है। उक्त नामो को प्रार्थी एक ओर तो त्रुटिपूर्ण होना अंकित कर रहा है और दूसरी ओर उन्ही त्रुटिपूर्ण नामो के आधार पर बैंक ऋण लिया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अंकित तथ्य अस्पष्ट एवं संदेहपूर्ण प्रतीत हो रहे है। इन्ही तथ्यो का उल्लेख पैरोकार सरकार द्वारा अपनी रिपोर्ट मे करते हुए दावा खारिज किये जाने योग्य माना है। प्रार्थी प्रस्तुत प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत लेकर आये है जिसमे लिपिकीय गलती हो शुद्ध करने का प्रावधान है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण मे त्रुटिपूर्ण कब व कहा व किस स्तर से होना स्पष्ट नही हो रहा है। अतः मोजूदा मामले मे चाही गई इस्तदुआ धारा 136 के प्रावधान मे साबित नही होती है। ऐसी स्थिति मे आवेदकगण का आवेदन पत्र उक्त धारा के तहत पोषणीय नही है। अतः यह न्यायायल आवेदकगण का आवेदन स्वीकार करना उचित नही समझता है।

आदेश

फलतः आवेदकगण का प्रार्थनापत्र अ0 धारा 136 एल आर एक्ट राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 17/3/25.......... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(हुक्मीचन्द रोहलानिया)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned with OKEN Scanner